ग्राम पंचायत शिवनाथ, विकास खण्ड देहरा जिला काँगड़ा, हि• प्र• –177117 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क)ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत शिवनाथ, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती रंजना देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ग)गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत शिवनाथ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.09
2	4.2	अनुदान 14वां वित्तायोग के अन्तर्गत शेष बची राशि को	2.64

		ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि में अनियमित हस्तातंरण करना	
3	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	22.53
4	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.16
5	8	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत निधि में अनियमित रूप से जमा करवाना	0.06
6	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.29
7	9.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	7.87
8	9.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	7.69
9	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	4.57
10	11	चयनिम माह में कृत व्यय के समर्थन में बिल/वाउचर अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	0.08
11	12	आमन्त्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान के कारण अधिक भुगतान करना	0.01

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत शिवनाथ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.01.2025 से 29.01.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीम वाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	02 / 2023	05 / 2022
2023—24	09 / 2023	06 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01 / 04 / 2022 से 31 / 03 / 2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 / — आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा / अ.वृ.का. / 2025 / 73 दिनांक—29. 01.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ.वृ.का. / 2025 / 47 दिनांकः—20.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्व—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	401603.65	492176.80	893780.45	63096.80	830683.65
2023-24	830683.65	78813.00	909496.65	65912.00	843584.65

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	3084862.00	3999104.00	7083966.00	4731450.90	2352515.10
2023-24	2352515.10	1893425.00	4245940.10	1993326.00	2252614.10

कुल योग (1+2)843584.65+**2252614**.10=**3096198.75**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹3096198.75 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट—3**" अनुसार अन्तशेष ₹3104814.05 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र.	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित्/ एस.डी.पी/ एम.एम.जी.पी.वाई /एस.डी.आर.एफ /वी एम.जे.एस.वाई/टी.एस.सी.(एस .बी.एम.), एस.सी.एस.पी.	के. सी .सी. बैंक देहरा	20008005456	1375583.35
2	वी. के .वी .एन. वाई	के.सी.सी.बैंक देहरा	50055752320	121432.00
3	एम .पी. लेड	के.सी.सी.बैंक देहरा	50055778905	100709.00
4	आर. जी. एस. ए	के.सी.सी.बैंक देहरा	50070040562	3837.00
5	आर. ए. वाई	के.सी.सी.बैंक देहरा	50055753049	4399.00
6	आई .डब्ल्यू. डी.पी (सेल्फ हेल्फ ग्रुप)	के.सी.सी.बैंक देहरा	50068608087	116490.00
7	पांचवा वित्/जिला परिषद /पचायत समिति	के.सी.सी.बैंक देहरा	50055768078	13008.00
8	13वां वितायोग(ब्याज)	के.सी.सी.बैंक देहरा	50055768114	16176.00
9	14वां वितायोग	के.सी.सी.बैंक देहरा	50055753061	0.00
10	14वां वितायोग	एच.डी.एफ.सी बैंक.देहरा	50100320844176	0.00
11	15 वां वितायोग	एच.डी.एफ. सी बैंक.देहरा	50100339390740	1148004.30
12	आई .डब्ल्यू. डी.पी (जनता हिस्सा)	पी.एन.बी. बैंक देहरा	4067000100471578	194680.00
13	आई .डब्ल्यू. डी.पी (पी.एम.के.एस.वाइ)	पी.एन.बी. बैंक देहरा	4067000100518958	10060.80
14	हस्तगत शेष (स्वःस्त्रोत की ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			434.60
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः—				₹3104814.05

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–	₹3096198.75
पंचायत के बैंक खातों/नकद का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः–	₹3104814.05
अन्तरः–	8615.30

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹0.09 लाख का अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत शिवनाथ द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹8615.30/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/50 दिनांकः–23.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का निर्देश है।

सचिव, ग्राम पंचायत शिवनाथ द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वःस्त्रोत, पांचवा वित,एस.डी.पी,टी.एस.सी/एस.बी.एम,एम.एम.जी.पी.वाई,एस.डी.आर.एफ,वी.एम.जे.एस.वाई व एस.सी.एस.पी आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशो के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20008005456 खोला गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता एवं नियमों/निर्देशों के

विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/55 दिनांकः—24.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या—93 दिनांकः—29.01.2025 द्वारा अवगत करवाया कि स्कीम वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशो अनुसार ही बैंक खातो का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाता बही तैयार न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022—23 व 2023—24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी—कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ था तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:—

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	15वां वित	2/18.5.2022	650/01.06.2022	निर्माण ड्रेन वेस्ट वाटर नन्द लाल,संत राम इत्यादि की वार्ड—3	10659
2	मनरेगा	2/19.05. 2022	99/15.02.2022	निर्माण लिंक रोड घुंघर मार्ग से देशवीर के घर तक रसुही वार्ड—3	116290
3	मनरेगा	6,7,8,9,10/2 1.05.2022	003,004,2082,705, 318/25.11.21,15. 12.2021	निर्माण एम्बुलेन्स रोड लिंक रोड कैपटन देव राज गटारन भंगोला फेज.1 वार्ड—4	255050
4	मनरेगा	19/06.05.	मस्ट्रोल—289	निर्माण एम्बुलेन्स रोड रूप	16324

		2022		सिंह के घर से तालाब गांव भंगोला वार्ड–4	
5	मनरेगा	24/21.05. 2022	मस्ट्रोल –754	निर्माण एम्बुलेन्स रोड भंगोला से निहाल पेठ वार्ड–4	19716
6	मनरेगा	23/07.05. 2022	मस्ट्रोल –381	निर्माण रूफ रेन वाटर हारवेस्टिगं टैंक कुशल शर्मा वार्ड–4	16536

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानो से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/72 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों/लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 अनुदान 14वां वितायोग के अंतर्गत शेष बची राशि ₹2.64/– लाख को ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि में अनियमित हस्तांतरण करने बारे :–

विशेष सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.I/518921/2024 PCH-HC(1) e-PRI दिनांक 21.11.2024 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार 14वें वित के अंतर्गत ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर व्यय करने की समयबद्धता को 31 मार्च 2025 तक बढा दिया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार 14वां वित्तायोग से राशि ₹2,64,462.30/– का हस्तांतरण सभा निधि में किया गया है, जोकि समय–2 पर जारी एवं उक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त उक्त हस्तांतरित राशि से

सम्बन्धित फण्ड हस्तांतरण आदेश या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेशो से सम्बन्धित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है:–

क्र0सं0	अनुदान	दिनांक	बैंक	खाता संख्या	राशि (₹)
1.	14वां वित	02.04.2022	एच.डी.एफ.सी बैंक.देहरा	50100320844176	239333.00
2.	14वां वित	08.04.2022	के.सी.सी.बैंक देहरा	50055753061	17.00
1.	14वां वित	29.03.2023	एच.डी.एफ.सी बैंक.देहरा	50100320844176	25112.30
				कुल	**264462.30**

अत उक्त किये गए अनियमित हस्तांतरण बारे सम्पूर्ण समर्थित अभिलेखो सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फण्ड हस्तांतरण आदेशो उपरान्त ही हस्तांतरण करना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 निवेश न करने बारे:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹6,56,945.05 से ₹13,75,583.35 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पडा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/72 दिनांक: 29.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–93 दिनांक 29.01.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायें।

6 अनुदान की राशि ₹22.53 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/47 दिनांकः—20.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना, जो कि **परिशिष्ट—1 व परिशिष्ट—2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31—03—2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹2252614.10/— की राशि उपयोग हेतु शेष थीः—

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	5वां वित	31.03.2024	325556
2	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	121432
3	एम.पी.लेड	31.03.2024	100709
4	आर.जी.एस.ए	31.03.2024	3837
5	एस.डी.आर.एफ	31.03.2024	77877
6	एस.डी.पी	31.03.2024	0
7	आई.डब्लयू.डी.पी	31.03.2024	321230.80
8	वी.एम.जे.एस	31.03.2024	100
9	आर.ए.वाई	31.03.2024	3902
10	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2024	111
11	एस.सी.एस.पी	31.03.2024	69150
12	टी.एस.सी/एस.बी.एम	31.03.2024	75705
13	14वॉं वित्त	31.03.2024	0
14	15वॉं वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	1153004.30
		कुल जोड	**2252614.10**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/51 दिनांक–23.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष/अनुपयोग अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7 सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹0.16 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत(Outstanding)नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/47 दिनांकः–20.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹15950**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की राशि का बिना पर्याप्त कारणो के शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/52 दिनांकः–23.01.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करके, भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.06/– लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत निधि में अनियमित रूप से जमा करने बारेः–

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः–04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/47 दिनांकः–20.01.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत शिवनाथ द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान राशि ₹6000 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा न करवाकर पंचायत के निधि खाते में जमा करवाया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं बल्कि आपतिजनक है।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/53 दिनांकः–23.01.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत शिवनाथ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.29 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय हेतु किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश ,निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत शिवनाथ के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा, संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹28770/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, फलस्वरूप क्रय सामग्री के मांग अनुरूप होने की अंकेक्षण में पुष्टि न

सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/68 दिनांकः–28.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 93 दिनांकः–29.01. 2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा, प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹7.87/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत शिवनाथ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट–6 पर संकलित राशि ₹7,86,959/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका। फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में क्रय समस्त सामग्री के उचित लेखांकन के अभाव में उसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/69 दिनांकः–28.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का मदवार स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित एवं नियम प्रावधानो के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का मदवार पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹7.69/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मासो के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹7,68,859/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम ,प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/70 दिनांकः–28.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध टांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व उक्त व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री हेतु आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा

ऐसे सभी प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 विभिन्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹4.57/– लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹4,56,547/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका एवं कृत व्यय को सन्देहास्पद बनाता है:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.15वां वित	2/18.5. 2022	650/01.06. 2022	निर्माण डेन वेस्ट वाटर नन्द लाल,संत राम इत्यादि की वार्ड–3	10659	पुस्तिका,34–सी
2.मनरेगा	2/19.05. 2022	99/15.02.2022	निर्माण लिंक रोड घुंघर मार्ग से देशवीर के घर तक रसुही वार्ड–3	116290	स्वीकृति पत्र,माप पुस्तिका ,34–सी
3.मनरेगा	6,7,8,9,10 /21.05. 2022	003,004,2082,705,318/25.11. 21,15.12.2021	निर्माण एम्बुलेन्स रोड लिंक रोड कैपटन देव राज गटारन भंगोला फेज.1 वार्ड–4	255050	स्वीकृति पत्र, प्राक्कलन , माप पुस्तिका 34–सी
4.मनरेगा	19/06. 05.2022	मस्ट्रोल–289	निर्माण एम्बुलेन्स रोड रूप सिंह के घर से तालाब गांव भंगोला वार्ड–4	16324	माप पुस्तिका, 34–सी
5.मनरेगा	24/21.	मस्ट्रोल –754	निर्माण एम्बुलेन्स रोड	19716	माप पुस्तिका,

	05.2022		भंगोला से निहाल पेठ वार्ड–4		34–सी
6.मनरेगा	23/07. 05.2022	मस्ट्रोल –381	निर्माण रूफ रेन वाटर हारवेस्टिगं टैंक कुशल शर्मा वार्ड–4	16536	माप पुस्तिका, 34–सी
7.मनरेगा	निल/6.6. 2023	मस्ट्रोल –816	निर्माण एम्बुलेन्स रोड लिंक रोड कांगू सूडा तालाब वार्ड–5	21972	माप पुस्तिका, 34–सी
			कुल योग	**456547**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत शिवनाथ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/67 दिनांकः–27.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 93 दिनांक 29.01. 2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखो को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 राशि ₹0.08/– लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2022 के व्यय के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि **₹7596**/–का भुगतान किया दर्शाया गया था, जिसके बिल/वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कृत व्यय को सन्देहास्पद बनाता है, यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैः–

क्र0सं0	मद/अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि ₹
1.	वी.के.वी.वाई. एन	3/30.05.2022	सीमेंट भाडा लेबर सहित	शून्य	2416

2.	एम.पी.लेड	3/30.05.2022	सीमेंट भाडा लेबर सहित	शून्य	2220
3.	14वां वित	5/30.05.2022	सीमेंट भाडा लेबर सहित	शून्य	2960
			कुल		7596

उक्त बिल/वाउचर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/71 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त बिल/वाउचरो को आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः उक्त बिल/वाउचर दिखाए जाने सुनिश्चित किये जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित शीर्ष के खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 आमंत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है, तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से निम्नलिखित सामान का निम्न विवरणानुसार क्रय किया गया थाः–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	निल/20.06.2023/ 328	मै0 रजनी कांत धवाला देहरा	बजरा (40mm)	9120 (6m3@1520)	10488 (6m3@1748)	1368

उपरोक्त बिल/वाउचर की आंमत्रित निविदाओं में अनुमोदित निविदा दर से भुगतान न करके अधिक दर से **₹**1368/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/72 दिनांकः–29.

01.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–93 दिनांक:–29.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुमोदित/न्यूनतम निविदा द्वारा भुगतान न करके अधिक दर द्वारा भुगतान किया गया , जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत संबंधित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये गए आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके, संबंधित शीर्ष के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य मामलो की भी विभागीय स्तर पर जांच करवाई जाए तथा यदि कोई इस प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसकी वसूली भी उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या ''10'' के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यो की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यो की माप–पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जो कि नहीं की गई थी।

3.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

5.अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के बिलो को निर्माण समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/72 दिनांकः– 29.01.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत शिवनाथ को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/47 दिनांकः 20. 01.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अन्तर्गत अपेक्षित रजिस्टर/अभिलेख			
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103

8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
9	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अन्तर्गत अपेक्षित रजिस्टर/अभिलेख			
1	अनुदान रजिस्टर	8	34
2	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/47 दिनांकः–20.1.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नही पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

16.1 रसीद बुको का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुकों के स्टॉक के अंकेक्षण में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदो के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदो का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदो के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत शिवनाथ द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत शिवनाथ के चयनित मासों 05/2022 व 06/2023 के विभिन्न अनुदानो के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/72 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–93 दिनांकः–29.01.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया

कि वर्तमान समय से वाउचरो पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **लघु आपति विवरणिकाः—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा—निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख—रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

2428-2432 का0/डा0 25 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)459/2025—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत शिवनाथ, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/डा0

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या – 4.1(क))

FINANCIAL POSITION OF GP SHIVNATH BLOCK DHERA KANGRA(H.P)-177117 FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	401603.65	492176.80	893780.45	63096.80	830683.65
2023-24	830683.65	78813.00	909496.65	65912.00	843584.65

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	3084862.00	3999104.00	7083966.00	4731450.90	2352515.10
2023-24	2352515.10	1893425.00	4245940.10	1993326.00	2252614.10

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SHIVNATH
DEV BLOCK DEHRA, KANGRA, H.P

22

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या – 6 ")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SHIVNATH FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th SFC	2022-23	101257.00	521789.00	623046.00	367132.00	255914.00
		2023-24	255914.00	341787.00	597701.00	272145.00	325556.00
2	VKVNY	2022-23	113959.00	222463.00	336422.00	283985.00	52437.00
		2023-24	52437.00	221986.00	274423.00	152991.00	121432.00
3	MPLAD	2022-23	170572.00	122419.00	292991.00	99809.00	193182.00
		2023-24	193182.00	205107.00	398289.00	297580.00	100709.00
4	RGSA	2022-23	250000.00	152071.00	402071.00	381891.00	20180.00
		2023-24	20180.00	322.00	20502.00	16665.00	3837.00
5	SDRF	2022-23	44465.00	100000.00	144465.00	38921.00	105544.00
		2023-24	105544.00	0.00	105544.00	27667.00	77877.00
6	SDP	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	250000.00	250000.00	250000.00	0.00
7	IWDP	2022-23	309312.40	8471.00	317783.40	5441.60	312341.80
		2023-24	312341.80	8889.00	321230.80	0.00	321230.80
8	VMJS	2022-23	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
		2023-24	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
9	RAY	2022-23	3902.00	0.00	3902.00	0.00	3902.00
		2023-24	3902.00	0.00	3902.00	0.00	3902.00
10	MMGPY	2022-23	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00
		2023-24	111.00	0.00	111.00	0.00	111.00
11	SCSP	2022-23	69150.00	0.00	69150.00	0.00	69150.00
		2023-24	69150.00	0.00	69150.00	0.00	69150.00
12	TSC/SBM	2022-23	75705.00	0.00	75705.00	0.00	75705.00
		2023-24	75705.00	0.00	75705.00	0.00	75705.00
13	14TH FC	2022-23	1015070.30	24314.00	1039384.30	1039384.30	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	15TH FC/ZP/PS	2022-23	931258.3	1044011.00	1975269.30	711321.00	1263948.30
		2023-24	1263948.30	255532.00	1519480.30	366476.00	1153004.30
15	MGNREGA	2022-23	0.00	1803566.00	1803566.00	1803566.00	0.00
		2023-24	0.00	609802.00	609802.00	609802.00	0.00

GRAM PANCHAYAT SHIVNATH

23

परिशिष्ट -03 (पैरा संख्या 4.1(ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत शिवनाथ विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.177117

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत शिवनाथ के दिनांक 01-04-2022 व 01-03-2024 को बैंक शेष:-

क्र.सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2022 को	बैंक शेष 31-03 -2024 को
01	स्वयं सत्रोत/ पांचवा वित्/ एस. डी .पी/ TSC(SBM) एम.एम.जी.पी. वाई /एस.डी.आर.एँफ़ / वी एम.जे.एस.वाई / SCSP	के. सी .सी. बैंक देहरा	20008005456	656945.05	1375583.35
02	वी. के .वी .एन. वाई	के. सी .सी. बैंक देहरा	50055752320	113959.00	121432.00
03	एम .पी. लेड	के. सी .सी. बैंक देहरा	50055778905	170572.00	100709.00
04	आर. जी. एस. ए	के. सी .सी. बैंक देहरा	50070040562	250000.00	3837.00
05	आर. ए. वाई	के. सी .सी. बैंक देहरा	50055753049	4151.00	4399.00
06	आई .डब्ल्यू. डी.पी (सेल्फ हेल्प ग्रुप)	के. सी .सी. बैंक देहरा	50068608087	109918.00	116490.00
07	पांचवा वित्/जिला परिषद /पचायत समिति	के. सी .सी. बैंक देहरा	50055768078	32849.00	13008.00
08	13वां वितायोग(ब्याज)	के. सी .सी. बैंक देहरा	50055768114	15262.00	16176.00
	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक देहरा	50055753061	17.00	0.00
09	14वां वितायोग	एच. डी. एफ. सी बैंक .देहरा	50100320844176	1015070.30	0.00
10	15 वां वितायोग	एच. डी. एफ. सी बैंक .देहरा	50100339390740	931258.00	1148004.30
11	आई .डब्ल्यू. डी.पी (जनता हिस्सा)	पी.एन.बी. बैंक देहरा	4067000100471578	184457.00	194680.00
12	आई .डब्ल्यू. डी.पी (पी.एम.के.एस. वाई.)	पी.एन.बी. बैंक देहरा	4067000100518958	9568.20	10060.80
	हस्त गत शेष दिनांक 31.03.2024 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			701.60	434.60
	कुल योग			3494728.15	3104814.05

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SHIVNATH
DEV BLOCK DEHRA, KANGRA H.P.

परिशिष्ट -04 (पैरा संख्या - "7")

कार्यालय ग्राम पंचायत शिवनाथ विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.177117

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत शिवनाथ में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 व 2023-24 में 455 परिवारों में ए.पी.एल.का रू 30/- प्रति परिवार तथा बी.पी. एल. का रू 25/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	39935	455	25/30	13350	53285	49605	3680
2023-24	3680	455	25/30	13350	17030	1080	15950

2022-23 ए पी एल – 395x30=11850

बी पी एल –60x25 =1500

2023-24 ए पी एल – 395x30=11850

बी पी एल –60x25=1500

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT SHIVNATH
DEV BLOCK DEHRA, KANGRA, H.P

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या –"8")

कार्यालय ग्राम पंचायत शिवनाथ विकास खण्ड देहरा ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 177117

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः–

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022--23	2800
2	2023--24	3200
	कुल	6000

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT SHIVNATH
DEV. BLOCK DEHRA, KANGRA, H.P

26

परिशिष्ट-6 (पैरा संख्या - 9.19 9.2)

कार्यालय ग्राम पंचायत शिवनाथ विकास खंड देहरा जिला काँगड़ा हि.प्र.-177117 औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर क्रय करना व स्टॉक/स्टोर की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना।

क्र. स.	मद का नाम	वाउचर संख्या / दिनांक	फर्म का नाम	बिल संख्या / दिनांक	सामग्री	मात्रा m3	दर	राशि	टिप्पणी
1	SFC/ZP	5/30.5.2022	M/s Rajni Kant Dhawala Dhera	324/31.12.2021	Bazra	3.45	699	2412	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bazri	4.65	1299	6040	
					Sand	4.28	1445	6185	
2	VKVNY	4/30.5.2022	M/s Rajni Kant Dhawala Dhera	325/30.01.2022	Bazra	10	699	6990	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Agg	9.7	1299	12600	
					Sand	10	1445	14450	
3	MPLAD	4/30.5.2022	M/s Rajni Kan+W11t Dhawala	323/18.12.2021	Bazra(40mm)	11.5	699	8039	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bazri (10,20mm)	8.25	1299	10717	
					Sand Washed	10.45	1445	15100	
4	14TH FC	2/2.5.2022	M/s Jayanti Enterprises Sapri J.Mukhi	9163/31.3.2022	Canon 3010 Printer(Including GST)	1	16600	16600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
6	NREGA	3/21.5.2022	M/s Maneer Mohan Kathog Jawalamukhi	601/5.2.2022	Cement Carriage with labour	387	30.00	11610	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
7	NREGA	2/19/5/2022	M/s Suman Tractar service Mariyari Khabli	99/15.02.2022	sand	10	1300	13000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajari	55	1300	71500	
					soling	2	900	1800	
8	NREGA	5/21.05.2022	Rajni Kant Dhawala Dhera	317/15.12.2021	sand	27.8	1445	40171	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajara	10	1299	15588	
					Bajara (40mm)	13	699	9087	
					Bajari Crasher	27.6	1299	35852	
					Soiling	42	699	29358	
9	NREGA	06/21.05.2022	Sunil Welding Works Vill Rainta	003/25.11.2021	Sand Crasher	20	1098	21960	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10	NREGA	7/21.05.2022	do	004/25.11.2021	Soiling	30	645	19350	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajari	20	890	17800	
11	NREGA	9/21.5.2022	M/s Maneer Mohan Kathog Jawalamukhi	705/25.11.2021	Cement Carriage with labour	230	30.00	6900	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
12	NREGA	10/21.05.2022	Rajni Kant Dhawala Dhera	318/15.12.2021	Soiling	20	699	13980	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajari 20mm	30	1299	38970	
					Sand Washed	30	1445	43350	
13	NREGA	12/21.5.2022	M/s Maneer Mohan Kathog Jawalamukhi	724/23.03.2022	Cement Carriage with labour	100	30.00	3000	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
14	NREGA	4/21.5.2022	M/s Maneer Mohan Kathog Jawalamukhi	602/7.12.2021	Cement Carriage with labour	242	30.00	7260	निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
15	NREGA	Nil/20.06.2023	Rajni Kant Dhawala Dhera	361/28.12.2022	Sand Washed	1 30	1520	45600	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajara(40mm)	2. 58	1520	88160	
					Solling	3. 10	910	9100	
					Shuttering(sqf)	800	15	12000	
					Sand Washed	8	1530	12240	
					Bajara (40mm)	6	1520	9120	

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT SHIVNATH
DEV BLOCK DEHRA, KANGRA, H.P

16	NREGA	Nil/20.06.2023	Rajni Kant Dhawala Dhera	328/28.12.2022	Bajari(10,20mm)	1. 8	1520	12160	स्टॉक प्राविष्ट प्रस्तुत नहीं की गई
					Solling	2. 10	910	9100	
					Shuttering(sqf)	3. 60	15	900	
					Local fera	4. 3	400	1200	
17	NREGA	Nil/20.06.2023	Rajni Kant Dhawala Dhera	327/28.12.2022	Sand Washed	1. 24	1530	36720	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					Bajara (40mm)	2. 18	1520	27360	
					Bajari(10,20mm)	3. 26	1520	39520	
					Solling	4. 28	910	25480	
					Local fera	5. 4	400	1600	
					Sign Board	6. 1	1500	1500	
					कुल योग			**831428**	

नोट:-1 क्रम संख्या 6, 11, 13 व 14 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया

2. क्रम संख्या 1 से 4, 7 से 10, 12 व 15 से 17 तक की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई।

PRADHAN

SECY

GRAM PANCHAYAT SHIVNATH
DEV BLOCK DEHRA, KANGRA H.P

▷ 15(I, II, III), 16 (I, II), 17 (I, II, III, IV, VI) (स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई।)

परिशिष्ट -7 (पैरा संख्या - '9.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत शिवनाथ विकास खण्ड देहरा ,जिला कांगड़ा द्वारा हि0प्र0 –177117 द्वारा कय खनन निर्माण सामग्री

क0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल सं0 /दिनांक	सामग्री	मात्रा/ प्रति घन	दर	राशि
1	NREGA	2/19/5/2022	M/s Suman Tractar service Mariyari Khabli	99/15.02.2022	sand	10	1300	13000
					Bajari	55	1300	71500
					soling	2	900	1800
2	NREGA	5/21.05.2022	Rajni Kant Dhawala Dhera	317/15.12.2021	sand	27.8	1445	40171
					Bajara	10	1299	15588
					Bajara (40mm)	13	699	9087
					Bajari Crasher	27.6	1299	35852
					Soiling	42	699	29358
3	NREGA	06/21.05.2022	Sunil Welding Works Vill Rainta	003/25.11.2021	Sand Crasher	20	1098	21960
4	NREGA	7/21.05.2022	do	004/25.11.2021	Soiling	30	645	19350
					Bajari	20	890	17800
5	NREGA	10/21.05.2022	Rajni Kant Dhawala Dhera	318/15.12.2021	Soiling	20	699	13980
					Bajari 20mm	30	1299	38970
					Sand Washed	30	1445	43350
6	NREGA	Nil/20.06.2023	Rajni Kant Dhawala Dhera	361/28.12.2022	Sand Washed	30	1520	45600
					Bajara(40mm)	58	1520	88160
					Solling	10	910	9100
7	NREGA	Nil/20.06.2023	Rajni Kant Dhawala Dhera	328/28.12.2022	Sand Washed	8	1530	12240
					Bajara (40mm)	6	1520	9120
					Bajari(10,20mm)	8	1520	12160
					Solling	10	910	9100
8	NREGA	Nil/20.06.2023	Rajni Kant Dhawala Dhera	327/28.12.2022	Sand Washed	24	1530	36720
					Bajara (40mm)	18	1520	27360
					Bajari(10,20mm)	26	1520	39520
					Solling	28	910	25480
9	SFC/ZP	5/30.5.2022	Rajni Kant Dhawala Dhera	324/31.12.2021	Bazra	3.45	699	2412
					Bazri	4.65	1299	6040
					Sand	4.28	1445	6185
10	VKVNY	4/30.5.2022	Rajni Kant Dhawala Dhera	325/30.01.2022	Bazra	10	699	6990
					Agg	9.7	1299	12600
					Sand	10	1445	14450
11	MPLAD	4/30.5.2022	Rajni Kant Dhawala Dhera	323/18.12.2021	Bazra(40mm)	11.5	699	8039
					Bazri (10,20mm)	8.25	1299	10717
					Sand Washed	10.45	1445	15100
						कुल		76885[illegible]

नोटः–उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X और W फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

Gram Rojgar Sewak
G.P. Shivnath
Circle Khabli
Block Dehra Distt. Kangra H.P.

PRADHAN

SECY
[illegible] SHIVNATH
DEV. BLOCK DEHRA [illegible] H.P

Technical Assistant
Block Dehra
Distt. Kangra (H.P.)

28